न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

निग/3520-III/15

प्रकरण क्र. /

सुरेश पिता प्यारेलाल आयु 55 वर्ष
व्यवसाय-कृषि निवासी ग्राम अरण्डिया तह.
अवंतिपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर
.........आवेदक

विरूद्ध

बाबूलाल पिता प्यारेलाल आयु 70 वर्ष,
निवासी- ग्राम अरण्डिया तह. अवंतिपुर
बड़ौदिया जिला शाजापुर
.........अनावेदकगण

पुर्ननिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील अवंतिपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण क्र. 06/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निगरानी प्रस्तुत करता हूं :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

संक्षिप्त में प्रकरण यह है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 250 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नं. 104/1व 105/1रकबा 0.523 हेक्टर पर सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें सीमांकन अनुसार आवेदक के कब्जे में अनावेदक की भूमि रकबा 0.010 जो कि सर्वे क्र. 105/1 की दक्षिण दिशा में है उस पर अनावेदक का कब्जा बताया गया व सर्वे क्र. 106/5 की भूमि पर आवेदक सुरेश का कब्जा 0.010 पर बताया गया है।

... सीमांकन की कार्यवाही के पश्चात अनावेदक द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3520–तीन/2015 जिला शाजापुर

सुरेश विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–2–2016	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अवंतिपुर बडौदिया के प्रकरण कमांक 06/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा आवेदक के तहसील न्यायालय में प्रस्तुत जबाव में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है। 2/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत जबाव में हुई त्रुटि को सुधार करने हेतु आदेश 6 नियम 12 का आवेदन पेश कर जबाव में संशोधन करने बावत प्रस्तुत किया जिसे तहसील न्यायालय बिना किसी आधार के अस्वीकार किया है। अतः तहसील न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायहित में आवेदक को उक्त जबाव में संशोधन करने का अवसर प्रदान करें और यदि जबाव पर सुनवाई की जा चुकी हो तो उक्त संशोधित आवेदन में उल्लिखित बिन्दु पर आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें। इसी निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	